

सं. 1(3)/2011-स्थापना

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

दिनांक: 03.03.2011

सेवा में,

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: इस्पात मंत्रालय में हिंदी अनुवादक के रूप में ठेका आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमिति निविदा आमंत्रित करने की सूचना।


महोदय,

इस मंत्रालय में प्रारंभ में छ. माह की अवधि के लिए हिंदी अनुवादक के रूप में ठेका आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी, और वित्तीय दृष्टि से मजबूत मैन पॉवर कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से "सील बंद निविदाएं" आमंत्रित कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है। ठेका अवधि के दौरान अनुवादक की संख्या आवश्यकतानुसार घट अथवा बढ़ सकती है।

2. कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय अथवा कोई एक शाखा कार्यालय दिल्ली में या दिल्ली के किसी सेटेलाइट टाउन में स्थित स्थित होना चाहिए। कंपनी/फर्म/एजेंसी के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए और वह आयकर और सेवा कर विभागों के पास पंजीकृत हो। एजेंसी आयकर/सेवा कर के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां और बैंक खाते की प्रति निविदा के साथ भेजें। निविदा में यह स्पष्ट रूप से यह इंगित किया जाना चाहिए कि हिंदी अनुवादक के रूप में ठेका आधार पर सेवाएं प्रदान करने की दर में कर शामिल है अथवा नहीं। निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के पक्ष में अग्रिम राशि के रूप में ₹5000.00 रुपए का डिमांड ड्रॉफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद असफल बोलीदाता को यह धनराशि और सफल बोलीदाता के संबंध में ठेका अवधि पूरा हो जाने के बाद यह राशि लौटा दी जाएगी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 मार्च, 2011 है। यह निविदाएं आवेदन करने वाली फर्मों के प्रतिनिधियों और इस मंत्रालय के 3 अन्य राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में इसी तिथि को सायं 3.30 बजे खोली जाएगी।

जारी/-

3. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "इस्पात मंत्रालय में हिंदी अनुवादक के रूप में ठेका आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा" इंगित किया जाना चाहिए।
4. इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को आस्थगित या निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. यह पत्र इस मंत्रालय की वैबसाइट (www.steel.nic.in) पर भी उपलब्ध है।


(अनिल कुमार)
अनुभाग अधिकारी
दूरभाष: 23062503